सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2015/00083

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0

निगरानी प्रकरण सं0 12/2015

1. बनवारीलाल पुत्र श्री बृजलाल
2. रामकुमार पुत्र श्री हनुमान
3. सुभाष पुत्र श्री सहीराम
4. इमीलाल पुत्र श्री दल्लूराम
5. नरसी राम पुत्र श्री शंकरलाल
6. प्रेमकुमार पुत्र श्री भागीरथ
7. विनोदकुमार पुत्र श्री द्वारका प्रसाद
8. रामकुमार पुत्र श्री मनीराम

} अकवाम बिश्नोई निवासीयान राहिड़ावाली सुथारन तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

9. शंकरलाल पुत्र श्री भूराराम जाति मेघवाल निवासी गांव रोहिड़ावाली सुथारन तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
10. रमेश कुमार पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी गांव रोहिड़ावाली सुथारन तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
11. छिन्द्रपाल पुत्र श्री रतनलाल जाति नाई निवासी गांव रोहिड़ावाली सुथारन तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
12. भागीरथ पुत्र श्री फग्गुराम जाति बाल्मिकी निवासी गांव रोहिड़ावाली सुथारन तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
13. मंगल सिंह पुत्र श्री मुखत्यार सिंह जाति मजहबी निवासी गांव मिर्जेवाला सुथारन तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत रोहिड़ावाली , पंचायत समिति, श्रीगंगानगर जरिये सरपंच/सचिव
2. विजेन्द्र पुत्र श्री बलवन्त राय जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ावाली सुथारान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :

1. श्री मोहनलाल महार अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री अरूण बिश्नोई अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: **दिनांक :– 06.03.2020**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानी आदेश एक पक्षीय रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत एवंम विधि विरूद्व पारित किया गया है। प्रार्थीगण गांव रोहिड़ावाली के सजग निवासीयान है। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित तीनों दुकाने जोहड़ पायतन के आराजी मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 4,5 में स्थित है। जोहड़ पायतन की आराजी को विक्रय करने का कोई अधिकार क्षेत्र अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार निगरानीधीन आदेश दिनांक 20.11.2014 बिना क्षेत्राधिकार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित दुकानों को विधि विरूद्व तरीके से सरपंच द्वारा अपने पारिवारिक रिश्तेदार देवर/जीजा उग्रसेन के हक में करवाई गई है, जबकि प्रत्येक दुकान की निलामी अलग–अलग की जानी चाहिए। अप्रार्थी संख्या 2 दो दुकानें एक साथ 25.5X11.5 फुट का निलामी द्वारा विक्रय विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निलामी की समस्त प्रकिया विधि विरूद्व तरीके से की गई है। निलामी की प्रकिया में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत के पंचों की कमेटी गठित कर प्रतिवेदन के पश्चात बहुमत से पारित निर्णय के अनुसार की जानी चाहिए तथा निलामी का सार्वजनिक चस्पांदगी के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति जिला कलक्टर (प्रशासन)

उपरान्त जिसकी एक प्रति विकास अधिकारी को भेजने के उपरान्त की जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने किसी प्रकार की कोई निलामी की प्रक्रिया या प्रचार व प्रसार नहीं किया, बल्कि घर बैठे ही कार्यवाही सम्पादित की है। निलामी की प्रक्रिया में केवल पांच ही व्यक्ति थे जिनमें उग्रसेन, विजेन्द्र व राजेन्द्र पारिवारिक सदस्य थे तथा अशोक कुमार व रामलाल दोनो ही श्रीगंगानगर के निवासीगण थे जिनको निलामी की प्रक्रिया में शामिल कर औपचारिकताऐं पूर्ण की है। यही नहीं निलामी दिनांक 20.11.2014 को हुई और दिनांक 20.11.2014 को ही हस्तान्तरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया, जबकि विधि के अनुसार निलामी की स्वीकृति उच्च अधिकारीयों से प्राप्त की जानी अनिवार्य थी। पूर्व में उक्त दुकानों को किरायेदारी पर प्रार्थी संख्या 11 व 12 को दे रखी थी जिसकी प्रत्येक माह को किराया नियमित रूप से किराया अदा किया जा रहा था, जिनकों यह कहकर दुकाने खाली करवाई गई कि दुकानों की मरम्मत की जायेगी, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उदेश्य से हस्तान्तरण दिनांक 20.11.2014 को किया गया है। निगरानीकृत आदेश की जानकारी वर्तमान सरपंच के द्वारा विकास अधिकारी, श्रीगंगानगर को एक आवेदन पत्र दिनांक 29.02.2015 को प्रेषित किये जाने पर दिनांक 13.04.2015 को प्रार्थीगण को मालूम होने पर यह निगरानी बिना किसी देरी से प्रस्तुत की जा रही है। इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निगरानीकृत आदेश दिनांक 20.11.2014 को निरस्त फरमाया जावे तो जनबा की मेहरबानी होगी।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार विवादित दोनो दुकाने जोहड़ पायतन के आराजी मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 4,5 में स्थित है। जोहड़ पायतन की आराजी को विक्रय करने का कोई अधिकार क्षेत्र अप्रार्थी संख्या 1 को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार निगरानीधीन आदेश दिनांक 20.11.2014 बिना क्षेत्राधिकार होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडावाली के द्वारा दिनांक 20.11.2014 को एस.जी.एस.वाई. योजना में निर्मित दो दुकानों साईज 25.5X11.5 फुट प्रत्येक गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 को विधि विरूद्व तरीके से आवंटन की गई। प्रस्ताव संख्या 01 बैठक दिनांक 02.10.2014 निलामी प्रक्रिया का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव संख्या 01 बैठक दिनांक 27.10.2014 को उक्त दुकानों की निलामी दिनांक 20.11.2014 को की जावेगी का प्रस्ताव पास किया गया। दिनांक 20.11.2014 को ही निलामी की गई। ग्राम पंचायत रोहिडावाली तीन दुकाने एक ही व्यक्ति गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम से अधिकतम बोली 16800/– होने पर उक्त दुकाने आवंटित की गई। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त दुकाने को आवंटन करने में पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत बने रूल्स 141 से 165 की पालना भी नहीं की इसलिए निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीकृत आदेश दिनांक 20.11.2014 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने इसके सम्बन्ध में निम्न नजीरे पेश की हैः–

1- 2018(1)CJ(Civ.)(Raj.) -Page :-572-576
2- 2016(1)DNJ(Raj.) -Page :-216-220
3- 2013(3)DNJ [Raj.] -Page :-1399-1404

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा लिमिटेशन से बाहर पेश की गई क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी के पैरा संख्या 05 में खुद स्वीकार किया है कि प्रार्थी संख्या 11 व 12 को उक्त दुकाने किराये पर दे रखी थी। इससे साबित होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व अवैध कब्जा किया हुआ था जिसे बाद में ग्राम पंचायत द्वारा खाली करवाया गया है इसलिए इनको पूर्व में जानकारी थी। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र जो पेश किया है माननीय न्यायालय को पेश नहीं किया गया है बल्कि बअदालत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर को पेश किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् आक्सन की कार्यवाही की गई है। निलामी किये जाने से पूर्व अखबार में निलामी सूचना प्रकाशित की गई, नोटिस जारी किये गये है एवं आक्सन के नियमों की पालना की गई है। पंचायत आक्सन करने के लिए पूरी तरह स्वतन्त्र है क्योंकि पंचायत अपनी प्रोपर्टी को आक्सन करने हेतु स्तवन्त्र है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी बदनियत से गैरनिगरानीकर्तागण को परेशान करने के लिए पेश की गई है। जिसे अस्वीकार किया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने इसके सम्बन्ध में निम्न नजीरे पेश की हैः—

1- 2016(1)AKR 113;; 2016 AIR CC 452(KAR)
2- [2014 AIR SCW 1142 (From Madras):: AIR 2014 SUPREME COURT 1141 (From Madras):: 2014 LAB.I.C. 1256 (SUPREME CPIRT)

अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर 2018(1)CJ(Civ.)(Raj.) -Page :-572-576, 2016 (1)DNJ(Raj.) -Page :-216-220, 2013(3)DNJ [Raj.] -Page :-1399-1404 उक्त प्रकरण पर चस्पा होनी पाई जाती है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि सरपंच ग्राम पंचायत रोहिडावाली के द्वारा दिनांक 20.11.2014 को एस.जी.एस.वाई. योजना में निर्मित दोनों दुकानों साईज 25.5X11.5 फुट प्रत्येक गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 को विधि विरूद्व तरीके से आवंटन की गई क्योंकि प्रस्ताव संख्या 01 बैठक दिनांक 02.10.2014 निलामी प्रक्रिया का प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव संख्या 01 बैठक दिनांक 27.10.2014 को उक्त दुकानों की निलामी दिनांक 20.11.2014 को की जावेगी का प्रस्ताव पास किया गया। दिनांक 20.11.2014 को ही निलामी की गई। ग्राम पंचायत रोहिडावाली दोनों दुकाने एक ही व्यक्ति गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 के नाम से अधिकतम बोली 16800/— होने पर उक्त दुकाने आवंटित की गई जो नियम विरूद्व है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रोहिडावाली द्वारा अपनाई गई निलामी प्रक्रिया को एवं आवंटन प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 06.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)